राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यू 1712–तीन/03 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19–5–15	यह पुनर्विलोकन आवेदन म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर के निगरानी प्रकरण कमांक 2471–दो/02 में पारित आदेश दिनांक 28–04–2003 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है। 2/ मैने उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तथा विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदकगण व्दारा पुनर्विलोकन में यह मुद्दा प्रस्तुत किया गया है कि तहसील न्यायालय हनुमना का प्रकरण क0 27/अ–6अ/96–97 में पारित आदेश दिनांक 02–08–97 ना तो संधारित किया गया और ना ही अस्तित्व में है। वर्ष 2002 में अन्य पकरणों के साथ यह प्रकरण विभागीय जॉच के दौरान ना तो संबंधित न्यायालय में उपलब्ध हुआ और ना ही जिला अभिलेखागार में उपलब्ध हो सका। उनका यह भी तर्क है कि तत्कालीन पदस्थ हल्का पटवारी रामकरण द्विवेदी व्दारा दिनांक 04–01–99 से चिकित्सा अवकाश में रहते हुए तथा निलम्बित अवस्था में फरारी के समय सक्षम अधिकारी के बिना ही इत्लाबी दर्ज की गयी है। उनका यह भी तर्क है कि आवेदकगण शासन की जानकारी के बिना आदेश दिनांक 28–04–03 पारित कराया	

गया है। अतः उन्होंने पुनर्विलोकन स्वीकार करने का अनुरोध किया।

3/ अनावेदकगण के अभिभाषक का यह तर्क है कि राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो इकाई रीवा की मॉग पर मूल प्रकरण क0 27/अ–6 अ/1996–97 पारित आदेश दिनांक 02–08–1997 न्यायालय व्दारा स्वयं या कलेक्टर रीवा के माध्यम से दिनांक 03–11–01 के पूर्व ही उपलब्ध करा दिया गया था। इस संबंध में उन्होंने विवेचना अधिकारी श्री शर्मा के अभिकथन की प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटो कॉपी प्रस्तुत की है। उनका यह भी तर्क है कि तत्कालीन पटवारी हल्का रामकरण द्विवेदी दिनांक 08–01–99 के पूर्व ना तो अवकाश पर थे, न निलम्बित या फरार थे। इस संबंध में उन्होंने कलेक्टर, रीवा के पत्र क0 101/18/भू–अभि0/99 दिनांक 30–1–99 की प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटो कॉपी प्रस्तुत की गयी है। उनका यह भी तर्क है कि राजस्व मण्डल ने शासन के अधिवक्ता को श्रवण करने के बाद आदेश पारित किया है। अतः उन्होंने पुनर्विलोकन खारिज करने का अनुरोध किया।

4/ आवेदक शासन व्दारा तहसील न्यायालय का प्रकरण क0 27/अ–6 अ/1996–97 पारित आदेश दिनांक 02–08–1997 फर्जी होना तथा संबंधित प्रकरण संधारित नहीं होना बताया है, किन्तु विशेष न्यायाधीश पी.सी. एक्ट रीवा के विशेष प्रकरण क0 1/08 में पारित आदेश दिनांक 27–12–14 की कण्डिका 34 में यह अंकित है कि श्री बी.एन.शर्मा साक्षी ने बताया है कि प्रकरण

कमांक 27/अ6अ/96–97 एवं प्रकरण कमांक 54–अ6अ/1994–95 कि फाईलें उनके पास मौजूद थी जिसे दिखाकर उन्होंने साक्षीगण अयूब खान व रामेश्वरप्रसाद द्विवेदी से पूछताछ की थी तथा ये दोनों प्रकरण उन्हें केस डायरी के साथ नस्ती में मिले थे। श्री बी0एन0 शर्मा के साक्ष्य की प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटो कॉपी भी प्रस्तुत की गयी है। श्री शर्मा ने अपने बयान के प्रतिपरीक्षण मे यह कहा है कि 'जब मैने रामेश्वरप्रसाद द्विवेदी और मोह0 आयूव खान के कथन दिनांक 8–10–02 को लिए उस समय मेरे पास प्र0क0 54/अ–6अ/95–96 शा0 वि0 चमेलीबाई का प्रकरण तथा दूसरा प्रकरण क0 27/अ–6अ/96–97 श्री रामेश्वरप्रसाद द्विवेदी वि0 म0प्र0शासन के प्रकरणों की फाईल मेरे पास थी। इन्हीं दोनों प्रकरणों की फाईल दिखाकर मैने साक्षियों से पूछताछ की थी। ये दोनों प्रकरण मुझे केस डायरी के साथ नस्ती में मिले थे।' ऐसी दशा में शासन का यह तर्क कि प्रकरण कमांक प्रकरण क0 27/अ–6 अ/1996–97 पारित आदेश दिनांक 02–08–1997 फर्जी है और नस्ती संधारित नहीं है, मान्य योग्य नहीं है।

5/ तत्कालीन पटवारी हल्का रामकरण द्विवेदी व्दारा राजस्व खसरे में दिनांक 05–01–1999 को इत्तलावी दर्ज की गयी है। कार्यालय कलेक्टर जिला रीवा व्दारा पत्र क0 101/18/भू–अभि /99 दिनांक 30–01–99 तहसीलदार, हनुमना को प्रेषित किया गया है (पत्र की प्रमाणित प्रति की फोटो प्रति पेश की गयी है). इस पत्र में यह उल्लेख है कि इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि श्री रामकरण द्विवेदी पटवारी दिनांक 8–1–99 से

अपने कार्यस्थल से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित हैं, जिससे टी आर एस का कार्य प्रभावित हो रहा है, जब कि इस कार्यालय के पत्र कमांक 28/18/भू–अभि/स्था./99 दिनांक 4–1–99 व्दारा स्थानान्तरित कर दिया गया था। उक्त पंत्र व्दारा दिये गये निर्देशों का पालन न कर संबंधित को भारमुक्त नहीं किया गया है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि श्री रामकरण द्विवेदी पटवारी का प्रभार सरहद्दी पटवारी को तत्काल दिलाया जाय। इससे स्पष्ट है कि 8–1–99 के पूर्व ना तो रामकरण द्विवेदी पटवारी को निलम्बित किया गया और ना ही वह अपने कार्य पर अनुपस्थित थे और ना ही उसके व्दारा चार्ज अन्य पटवारी को दिया गया था। ऐसी दशा में रामकरण द्विवेदी व्दारा खसरे मे की गयी दिनांक 05–01–99 की इत्तलाबी अधिकार विहीन होना नहीं माना जा सकता।

6/ राजस्व मण्डल के अभिलेख से स्पष्ट है कि राजस्व मण्डल के समक्ष दिनांक 24–03–03 को आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव तथा अनावेदक शासन की ओर से श्री प्रदीप के श्रीवास्तव उपस्थित होने पर उभय पक्ष के तर्क श्रवण के बाद राजस्व मण्डल व्दारा प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किया और तत्पश्चात दिनांक 28–04–03 को आदेश पारित किया। इससे स्पष्ट है कि शासन के विधिवत सुनने के बाद राजस्व मण्डल व्दारा आदेश पारित किया गया है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार करने का समुचित आधार नहीं होने से पुनर्विलोकन आवेदनपत्र निरस्त किया जाता है। राजस्व मण्डल का आदेश

दिनाक 28–04–03 तहसीलदार का प्र0क0 27अ–6–अ/96–97 में पारित आदेश दिनांक 2–8–97 यथावत रखा जाता है तथा पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जाये तथा राजस्व मण्डल का अभिलेख दाखिल अभिलेखागार किया जाय।

(ए0 के0 सिंह)
सदस्य

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर कैम्प रीवा

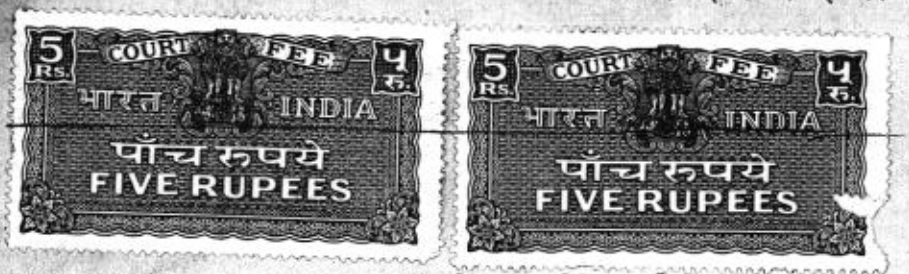

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

१- राज्य शासन म०प्र० द्वारा कलेक्टर जिला रीवा म०प्र०

२- राज्य शासन म०प्र० द्वारा अधिकृत श्री एस०पी०सिंह अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना।मऊगंज, जिला रीवा म०प्र०. ------ आवेदकगण

क्रमांक कोषिया 10764
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा
दिनांक 20-11-03 को
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

१- श्री रामेश्वरप्रसाद तनय द्वारिका प्रसाद ब्रा० निवासी ग्राम टटिहरा थाना व तहसील हनुमना, जिला रीवा म०प्र० हाल मुकाम द्वारिका नगर रीवा म०प्र०.

२- श्री रामकरण पाण्डेय तनय स्व० पदमाधर प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम खिगटी थाना व तहसील हनुमना, जिला रीवा म०प्र०. ------ अनावेदकगण।

आवेदनपत्र बाबत पुनर्विलोकन आदेश माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर द्वारा पारित आदेश प्रकरण क्र०बा र०२५७१-दो।२००२ दिनांक २८-४-03 (अट्ठाइस अप्रैल दो हजार तीन)अन्तर्गत धारा ३२१ म०प्र० भू०रा०संहिता १९५९ ई० ।

मान्यवर,

आवेदनपत्र पुनर्विलोकन के आधार निम्नलिखित हैं:-
----

(१) यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण क्रमशः ग्राम टटिहरा एवं खिगटी तहसील हनुमना के निवासी है ।प्रश्नाधीन भूमियां ग्राम हनुमना तहसील हनुमना में नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत की वर्ष शासकीय अतिमहत्वपूर्ण भूमि है, जिनकी कीमत कई करोड़ रुपये की है ।अधिकांश भूमियां शासकीय संस्था तहसील कार्यालय परिसर से सम्बन्धित है ,जो रिक्त है। कुछ भाग में अन्य अतिक्रामकों के